धन्ना

पुकार 18 पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। प्राप्त नोटिस कारवाई की मृत्यु होना अंकित किया गया है।) शेष पक्षकारान अनुपस्थित। पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वकील वादी ने इस न्यायालय मे दिनांक 12.5.16 को सूचित किया गया कि वादी की मृत्यु हो गई है इसलिए उसके वारिसान का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहते है इस हेतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.7.16 की तारीख पेशी दी गई। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा करीबन 11 माह बाद तक वादी के वारिसान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना नहीं पाया गया। जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा मे जानकारी के अन्दर मियाद 90 दिवस मे उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, जबकि वकील वादी द्वारा इस न्यायालय

— लगातार — —

नोटिस

मुकदमा नंबर   सन्..20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार . .	मे दिनांक 14.7.16 को वादी की मृत्यु होने बाबत सूचित किये जाने के बावजूद भी 22 माह की अवधि मे कभी भी वादी के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया जो न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद अबेट किया जाकर खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अबेट किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध खारीज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे। आदेश सुनाया गया। (सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 11:09:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: